

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित
टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग से राँथी मो0मार्ग0 (20.425 किमी.)
 के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद पिथौरागढ़ जो उत्तराखण्ड राज्य का अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के साथ ही अन्तराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। भारत सरकार द्वारा 250 से अधिक आबादी की असंयोजित बसावटों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इन बसावटों को संयोजित करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे इस दुर्गम क्षेत्र में बसे हुए ग्रामीणों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य आदि उपलब्ध हो सकें, एवं इन गाँवों में उत्पादित होने वाली सामग्रियों को बाजार तक कम लागत में पहुँचाया जा सके जिससे इन गाँवों से होने वाले पलायन भी रुकेंगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग से बोरा गांव एवं जुम्मा जिनकी आबादी 3307 है, को जोड़ा जाना प्रस्तावित है यह बसावटें पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 5 से 8 किमी० की पैदल दूरी पर स्थित हैं। मोटर मार्ग से अत्यधिक पैदल दूरी पर स्थित होने के कारण इन गाँवों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की काफी कमी है। बाजार से दूर होने के कारण खाद्यान्न सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं को ग्राम तक ले जाने में ग्रामवासियों को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है।

प्रस्तावित समरेखन, सिविल भूमि (राज्य भूमि) तथा नाप भूमि से होकर गुजरता है, अन्य किसी श्रेणी की भूमि इस समरेखन से प्रभावित नहीं होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, मन्दिर व कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि वन भूमि की श्रेणी में ले ली गयी है। इस मार्ग के समरेखन में नाप भूमि 7.583 है०, सिविल सोयम भूमि 0.00 है० तथा वन पंचायत भूमि 10.80 है०, एवं आरक्षित भूमि 0.00 है० प्रभावित हो रही है, जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो वैकल्पिक समरेखनों पर विचार किया गया गुण अवगुणों के आधार पर (विस्तृत विवरण संलग्न) समरेखन न० 1 को प्रस्तावित किया गया है। जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित समरेखन को अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन का भू-वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त समरेखन में मार्ग का निर्माण तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, (प्रति संलग्न)। अतः 20.425 किमी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9.00 मी० चौड़ाई में आने वाली सिविल सोयम, एवं वन पंचायत की 10.80 है० भूमि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।



कनिष्ठ अ० सहा० अभि०
 पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)



सहायक अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)



अधिशारी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि०
 धारचूला (पिथौरागढ़)